भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1559
दिनांक 11.02.2020/ 22 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस का आधुनिकीकरण

†1559. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने पुलिसबलों की दक्षता, प्रभावोत्पादकता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण और संबंधित प्रौद्योगिकीय अवसंरचना की स्थापना हेतु ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का पुलिसकर्मियों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) सरकार का पुलिसकर्मियों की नौकरी के दौरान उनकी फिटनेस बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): जी, हां। पुलिस बल का आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। भारत के संविधान की अनुसूची VII के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' की स्कीम [पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की स्कीम] के तहत राज्यों के अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और उनका आधुनिकीकरण करने से संबंधित प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य सरकारों की अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उनके प्रस्तावों के अनुसार राज्यों को अत्याधुनिक हथियार, प्रशिक्षण गैजेट, उन्नत संचार उपकरण, पुलिस भवन, पुलिस आवास, मोबिलिटी और फॉरेंसिक उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

लो.स.अ.प्र.सं.1559

केंद्र सरकार ने देश के 15985 पुलिस स्टेशनों में से 15152 पुलिस स्टेशनों में एक अखिल भारतीय डिजिटल नेटवर्क-अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्किंग प्रणाली (सीसीटीएनएस) शुरू की है जिसने शिकायतों, एफआईआर, जांच के ब्यौरों आदि को दर्ज करने जैसी पुलिस प्रक्रियाओं को डिजिटल बना दिया है। 14992 पुलिस स्टेशनों में 100% एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) शुरू की है, जो न्यायालयों, पुलिस, अभियोजन, जेलों और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के बीच आकड़ों के आदान-प्रदान को सुगम बनाते हुए शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को इंटीग्रेट करती है। यौन हमलों के संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के दो महीनों के भीतर पुलिस जांच पूरी करने का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार ने सीसीटीएनएस आंकड़ों का उपयोग करते हुए यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पोर्टल के माध्यम से पुलिस जांच की समयसीमा की निगरानी को सुगम बनाया है। आईटीएसएसओ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध है और यह लंबित मामलों के ब्यौरे उपलब्ध कराता है। सरकार ने विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) भी शुरू किया है। एनडीएसओ यौन अपराधों के विरुद्ध निवारक उपाय करने के साथ-साथ बार-बार तथा आदतन यौन अपराध करने वालों का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। एक साइबर अपराध पोर्टल भी कार्यशील है।

"पुलिस" राज्य का विषय होने के नाते, राज्य नियमित रूप से महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने और शारीरिक फिटनेस सहित विभिन्न मुद्दों पर पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। केंद्र भी महिला पुलिस के कल्याण संबंधी उपायों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा तथा कार्य करने का अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी करता है।

****